2024:CGHC:32554-DB

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

क्रिमिनल अपील क्रमांक 590/2020

- गोवर्धन साहू पुत्र श्री संतूराम साहू उम्र लगभग **34** वर्ष
  निवासी ग्राम चिल्फी **थाना** साजा, जिला बेमेतरा
  सिविल और राजस्व जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

.... अपीलार्थी

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य, **द्वारा** पुलिस **थाना** साजा,
  जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़

...........प्रत्यार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

....

अपीलार्थी के लिए: श्री अजय मिश्रा, अधिवक्ताध्छत्तीसगढ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त **पैनल अधिवक्ता।**

प्रत्यर्थी . राज्य के लिए: सुश्री स्मिता झा, पैनल **अधिवक्ता** ।

....

डीबी: माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे और
माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल
बोर्ड पर निर्णय
(27/08/2024)

संजय कुमार जायसवाल, जे.

(1) अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 374(2) दं0प्र0सं0 के तहत यह दांडिक अपील विद्वान सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ0ग0) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 50/2019 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध संस्थित की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा रूपये 100/– के अर्थदण्ड एवं

आजीवन कारावास भुगतने का दण्डादेश दिया गया है और अर्थदण्ड के भुगतान के व्यतिक्रम में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

(2) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.08.2019 को प्रातः करीब 07.00 बजे अपीलार्थी ने अपनी पत्नी रीना बाई साहू (अब मृतक) पर लकड़ी के दंडे से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटे आयी और उसकी मृत्यु हो गई, तद्द्वारा उसने भा0दं0सं0 के धारा 302 के तहत अपराध किया।

(3) अभियोजन का आगे का मामला संक्षेप में यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी पत्नी रीना बाई (मृतका) पर यह संदेश करते हुये हमला किया करता था कि उसने उस पर काला जादू कर दिया है। उसने दिनांक 11.08.2019 को अपने ससुर राम कुमार साहू (अ0सा0–8) के समक्ष यह स्वीकार किया था। उसके बाद दिनांक 14.08.2019 को प्रातः 07.35 बजे ग्राम चिल्फी से चंद्रभूषण साहू ने मृतका के पिता राम कुमार (अ0सा0–8) को फोन कर यह बताया कि रीना बाई की हालत बहुत गंभीर है, तब वह अपनी पत्नी सीता बाई (अ0सा0–10) के साथ ग्राम चिल्फी आया और देखा कि उसकी बेटी सिर और माथे पर चोट के कारण मृत पड़ी थी। पूछने पर उसे यह पता चला कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी पत्नी रीना बाई की लकड़ी के डंडे से हमला करते हुये हत्या कर दी है। राज कुमार (अ0सा0–8) की सूचना के आधार पर देहाती नालसी (प्र.पी.–8) पंजीबद्ध की गई एवं देहाती मर्ग सूचना (अ0सा0–7) दर्ज की गई। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्र.पी.–24 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्र.पी.–03 के जरिये मृत्यु समीक्षा कार्यवाही की गई। मृतक के शव को शव परीक्षण जांच हेतु भेजा गया और शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र0पी0–10) में डॉ. अविनाश मार्कण्डेय (अ0सा0–9) ने यह अभिमत दिया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु का कारण सिर पर लगी मृत्युपूर्व चोट के परिणामस्वरूप मस्तिष्क क्षति के कारण कारित अत्यधिक रक्त की कमी होना प्रतीत होता है तथा मृत्यु की प्रकृति मानव–वध है। तत्पश्चात, अपीलार्थी/अभियुक्त को प्र0पी0–21 के जरिये गिरफ्तार किया गया तथा उसका मेमोरेण्डम कथन (प्र0पी0–17) दर्ज किया गया। विभिन्न वस्तुओं को प्र0पी0–11 से प्र0पी0–14 के अनुसार जब्त किया गया तथा रसायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–33 में स्टिक (आर्टिकल–एफ) पर मानव रक्त पाया गया।

(4) अभियोजन ने अपना मामला प्रमाणित किये जाने हेतु 16 साक्षीगण का परीक्षण कराया, 33 दस्तावेज और आर्टिकल ए–1 से आर्टिकल ए–4 प्रदर्श अंकित कराया गया। अपीलार्थी का धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन दर्ज किया गया जिसमें उसने दोषी होने से इंकार किया, यद्यपि उसने अपने बचाव में किसी का परीक्षण नहीं कराया और अपने समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष का मूल्यांकन करते हुये भा0दं0सं0 की धारा 302 के अपराध हेतु दोषसिद्ध ठाहराया गया और यहां उपर वर्णित दाण्डादेश दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दोषसिद्धि के आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश को प्रश्नगत करते हुये चुनौती दी गई है।

(6) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले में कोई चक्षुदर्शीसाक्षी नहीं है तथा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन के मामले को यथावत् लेते हुये भी, अपीलार्थी के विरूद्ध केवल भा0दं0सं0 की धारा 304 के भाग–II के अंतर्गत अपराध बनता है, क्योंकि मृतका की मृत्यु कारित करने का अपीलार्थी के पास कोई हेतुक नहीं था। इस प्रकार,

वर्तमान अपीलार्थी का मामला भा0दं0सं0 की धारा 304 के अपवाद के दायरे में आता है और अपीलार्थी का कृत्य हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है और, इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–II में परिवर्तित/तब्दील किया जा सकता है और, इसके आगे, चूंकि अपीलार्थी दिनांक 06.09.2019 से, यानी 04 वर्ष से भी अधिक समय से, जेल में है, उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि को ध्यान में रखते हुये, अपीलार्थी/अभियुक्त को अविलंब जेल से रिहा किया जावे। इसलिए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

(7) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश का समर्थन किया और निवेदन किया कि अभियोजन ने पुख्ता प्रकृति का साक्ष्य पेश कर युक्तियुक्त संदेश से परे अपराध प्रमाणित कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा0दं0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत सही रूप से दोषी ठहराया है। इस मामले में भा0दं0सं0 की धारा 300 का अपवाद 04 आकर्षित नहीं होता है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां भा0दं0सं0 की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–II में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार, वर्तमान अपील खारिज किये जाने योग्य है।

(8) हमने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके उपर दिये गये प्रतिस्पर्धी निवेदन पर विचार किया और अत्यंत सावधानी से अभिलेखों को देखा।

(9) सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों और विशिष्ट रूप से शव परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवेदन (प्र0पी0–10) पर विचार करते हुये साकारात्मक रूप से दर्ज किया है, जो डॉ अविनाश मार्कण्डेय (अ0सा0–09) के साक्ष्य से विधिवत् प्रमाणित होता है। तद्नुसार शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र0पी0–10) और डॉ अविनाश मार्कण्डेय (अ0सा0–09) के कथन पर विचार करते हुये हमारी यह विचारित राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय का यह निर्णित करना बिल्कुल न्यायोचित है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है, क्योंकि यह साक्ष्य के आधार पर तथ्य का सही निष्कर्ष है जो न तो विपर्यित है और न ही अभिलेख के विपरीत है। तद्नुसार हम उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

(10) अब अगला प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त/अपीलार्थी इस प्रश्नगत अपराध का अपराधकर्ता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) वर्तमान मामले में अपीलार्थी के पिता राम साहू (अ0सा0–2) और अपीलार्थी की माता शांता बाई साहू (अ0सा0–3) के कथन पर विचार करते हुये, जिनके समक्ष अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि उसने अपने पत्नी की हत्या डण्डे से की है, इसके अलावा, अपराध का हथियार यानी लकड़ी के डण्डे को प्र0पी0–14 के तहत जब्त किया गया है, जिसे रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया था और एफएसएल रिपोर्ट (प्र0पी0–33) में मानव रक्त पाया गया था, हम एतद्द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि यह अपीलार्थी/अभियुक्त ही है जिसने अपनी पत्नी रीना बाई (मृतका) पर हमला किया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने मृतका पर चोटें कारित की हैं, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है और तद्नुसार, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किये गये निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त ही प्रश्नगत अपराध का लेखक है।

(12) उपरोक्त निष्कर्ष हमे अगले विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है, जो यह है, कि क्या विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा0दं0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है या उसका मामला भा0दं0सं0 की धारा 300 अपवाद 04 के अंतर्गत आता है, जो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के समान है और, इस प्रकार, उसकी दोषसिद्धि को भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–II में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है?

(13) साक्ष्य और मर्ग जांच से यह स्पष्ट है कि जिस समय घटना घटी, उस समय अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी पत्नी रीना बाई (मृतका) पर लकड़ी के डंडे से यह संदेह करते हुये हमला किया था कि उसने उस पर काला जादू किया है, जिसके कारण मृतका को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई।

(14) **<u>सुखबीर सिंग बनाम हरियाणा राज्य</u>** [1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सम्प्रेक्षित किया हैः–

''21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, हमारा मत है कि सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व के अभाव में सुखबीर सिंग ने अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में बिना पूर्व चिंतन के हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध किया है और उसने क्रूरतापूर्ण या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है और उसका मामला भा0दं0सं0 की धारा 304 के अपवाद 04 के अंतर्गत आता है जो भा0दं0सं0 की धारा 304(भाग–I) के अंतर्गत दंडनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त अपीलार्थी को भा0दं0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत

दोषी ठहराया जाने के निष्कर्ष को खारिज किया जाता है और उसे भा0दं0सं0 की धारा 304(भाग–I) के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध कारित करने के अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और रूपये 5000/– के अर्थदण्ड का भुगतान करने का दण्डादेश दिया जाता है। अर्थदण्ड के भुगतान के व्यतिक्रम में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।''

(15) **<u>गुरमुख सिंग बनाम हरियाणा राज्य</u>** [2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे कारक निर्धारित किये हैं जिन्हें भा0दं0सं0 की धारा 302 या धारा 304 भाग–II में उचित दंडादेश देने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''23. ये कुछ कारक हैं, जिन्हें अभियुक्त को उचित दण्डादेश देने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन कारकों की प्रकृति केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। प्रत्येक मामले को उसके विशेष परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। सुसंगत कारक इस प्रकार हैं:

(ए) हेतुक या पिछली दुश्मनी,

(बी) क्या घटना क्षणिक आवेग में हुई थी,

(सी) चोट या वार करते समय अभियुक्त का आशय/ज्ञान,

(डी) क्या मृत्यु तत्काल हुई या पीड़ित की मृत्यु बहुत दिनों के बाद हुई,

(इ) चोट की गंभीरता, आयाम और प्रकृति,

(एफ) अभियुक्त की आयु और सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति,

(जी) क्या चोट अचानक लड़ाई में बिना पूर्वचिंतन के कारित की गई थी,

(एच) चोट पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किये गये हथियार की प्रकृति और आकार तथा बल जिससे वार किया गया था?

(आई) अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रतिकूल इतिहास,

(जे) क्या पहुंचायी गई चोट सामान्य प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी अपितु सदमें के कारण मृत्यु हुई थी,

(के) अभियुक्त के विरूद्ध लंबित अन्य आपराधिक प्रकरणों की संख्या,

(एल) घटना परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों के बीच हुई,

(एम) घटना के बाद अभियुक्त का आचरण एवं व्यवहार।

क्या अभियुक्त, घायल/मृतक को यह सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अस्पताल ले गया था कि वह उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सके? ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को उचित दंडादेश देते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपर बतायी गई परिस्थितियों की सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। हमारी विचारित दृष्टि से, अभियुक्त को ठीक और यथोचित दण्डादेश देना न्यायालय का बाध्यताकारी दायित्व और कर्तव्य है। न्यायालय का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि अभियुक्त को यथोचित दण्डादेश मिले, दूसरे शब्दों में, दण्डादेश अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। ये कुछ सुसंगत कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते और दण्डादेश देते समय ध्यान में रखना चाहिए।

(16) इसी तरह **राज्य बनाम संदीव नंदा** [3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार यह स्थापित हो जाता है कि यह ज्ञान था कि इससे मृत्यु होने की संभावना है किंतु मृत्यु कारित करने के आशय के बिना, तो कारावास का दण्डादेश 10 वर्ष तक की अवधि तक विस्तारित हो सकता है और अर्थदण्ड सहित और दोनों हो सकता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है भा0दं0सं0 की धारा 302 भाग–II के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाने के लिए, अभियोजन को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रश्नाधीन व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ऐसी मृत्यु अभियुक्त के कृत्य

के कारण कारित हुई है और वह जानता था कि उसके ऐसे कृत्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है।

(17) इसके अलावा, **<u>अर्जुन बनाम छत्तीसगढ. राज्य [4]</u>** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है जिसे कंडिका 20 और कंडिका 21 में संप्रेक्षित किया है, जो इस प्रकार हैः—

> "**20** इस अपवाद 4 को लागू करने के लिए, जो आवश्यकता पूरी की जानी है उन्हें इस न्यायालय द्वारा सुरिंदर कुमार बनाम यूटी, चंडीगढ [(1989)2 एससीसी 217: 1989 एससीसी(क्रि)348] में निर्धारित किया गया है, इसे इस प्रकार समझाया गया है:(एससीसी पृष्ठ 2020, पैरा 7)
>
> > "**7.** इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए, अर्थात्, (i) यह अचानक लड़ाई थी (ii) कोई पूर्वचिंतन नहीं था (iii) कार्य आवेश की तीव्रता में हुआ था (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूरतापूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया था। झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसाया या हमला शुरू किया। घटना के दौरान कारित हुये घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है किंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे—समझे कारित हुई हो और अपराधी ने क्रोध में आकर कार्य किया हो। निस्सन्देह अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूरतापूर्ण तरीके से काम नहीं किया हो। जहां, अचानक झगड़े के दौरान, कोई व्यक्ति क्षणिक तीव्रता में कोई हथियार उठाता है जो उसके पास है और चोट कारित करता है, जिसमें से एक घातक साबित होती है, वह अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम न किया हो।
>
> **21** इसके अलावा अरूमुगम बनाम राज्य [(2008)15 एससीसी 590: (2009)3 एससीसी(क्रि)1130] में कानून के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि मृत्यु कारित होती है तो किन परिस्थितियों में भा0दं0सं0 की धारा 304 को लागू किया जा सकता है, इसे निम्नानुसार समझाया गया है: (एससीसी पृष्ठ 596, पैरा 9)

''9 ...'18. अपवाद 4 की सहायता तब लागू की जा सकती है जब मृत्यु कारित हो (ए) बिना किसी पूर्वचिंतन के, (बी) अचानक झगड़े में, (सी) अपराधी द्वारा उचित लाभ उठाये बिना या असमान्य तरीके से काम किये बिना, और (डी) झगड़े में व्यक्ति मारा गया हो। अपवाद 4 के तहत मामला लाने के लिए इसमें वर्णित सभी तत्व पाये जाने चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा भा0दं0सं0 की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाले ''झगड़े ''को दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है। झगड़े के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। आवेश की तीव्रता के लिए आवश्यक है कि आवेश को शांत होने का समय न मिले और इस मामले में, दोनों पक्षों ने शुरू में मौखिक विवाद के कारण खुद को उग्र बना लिया था। झगड़ा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, चाहे हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। इस बारे में कोई सामान्य नियम बनाना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जायेगा। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ या नहीं, यह प्रत्येक मामले के प्रमाणित हुये तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 को लागू करने के लिए केवल यह दिखाया जाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूवचिंतन नहीं था। यह भी दिखाया जाना आवश्यक है कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या आसान्य तरीके से काम नहीं किया है। अभिव्यक्ति ''अनुचित लाभ'' जैसा कि प्रावधानों में प्रयुक्त हुई है, का अर्थ है ''अन्यायपूर्ण लाभ''।

(18) अर्जुन (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि आशय और ज्ञान है तो यह भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–I का मामला होगा और यदि यह केवल ज्ञान का मामला है और हत्या एवं शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय नहीं है, तो यह भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–II का मामला होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(19) इसके अलावा **<u>रामबीर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)</u>**[5] के मामले ने सर्वोच्च न्यायालय ने 4 तत्व निर्धारण किये हैं जिनका परीक्षण भा0दं0सं0 की धारा 304 के अपवाद 4 के दायरे में लाने के लिए किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:

''16. भा0दं0सं0 की धारा 304 के अपवाद को सरलता से पढ़े जाने से दिखाई देता है कि निम्नलिखित चार तत्व आवश्यक हैं:

(i) अचानक झगड़ा होना आवश्यक है,

(ii) कोई पूर्वचिंतन नहीं था,

(iii) कार्य आवेश की तीव्रता में किया गया था, और

(iv) अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूरतापूर्ण या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था ''।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामलों के तथ्यों पर विचार करते हुये, यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थी का कोई पूर्वचिंतन नहीं था, किंतु अपीलार्थी के पिता संतूराम साहू (अ0सा0–2) और अपीलार्थी की माता शांता बाई साहू (अ0सा0–3) के कथन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी (मृतका) से यह संदेह करते हुये झगड़ा करता था कि उसकी पत्नी ने उस पर काला जादू कर रखा है और अपराध की तारीख को, आवेश की तीव्रता में और क्रोध में आकर अपीलार्थी ने अपनी पत्नी रीना बाई (मृतका) पर अभिकथित रूप से लकड़ी के डंडे से हमला किया जिसके कारण मृतका को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा, अपीलार्थी अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उस घर में गया जहां उसके माता–पिता रहते थे और अपने माता–पिता के सामने जहर खा

लिया। यद्यपि मृतका को लगी चोटों को देखते हुये जैसा कि डॉ अविनाश मार्कण्डेय (अ0सा0—9) द्वारा दर्ज किया गया है, अपीलार्थी को आवश्यक रूप से यह ज्ञान होना चाहिए था कि उसके द्वारा मृतका के शरीर पर पहुंचायी गई ऐसी चोटों से उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला है जो भा0दं0सं0 की धारा 304 के अपवाद 4 के दायरे में आयेगा, क्योंकि अपीलार्थी का कृत्य भा0दं0सं0 की धारा 304 के अपवाद 4 के चार आवश्यक तत्वों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, यानी (i) अचानक झगड़ा होना आवश्यक है, (ii) कोई पूर्वचिंतन नहीं था, (iii) कार्य आवेश की तीव्रता में किया गया था, (iv) अपीलार्थी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर या असामान्य रीति से काम नहीं किया था और, इसलिए भा0दं0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग—II में तब्दील/परिवर्तित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) उपर वर्णित विवेचना को दृष्टिगत रखते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि को और अपीलार्थी को दिये गये आजीवन कारावास के दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। यह विचार करते हुये कि अपीलार्थी की ओर से मृतका की मृत्यु कारित करने का कोई पूर्वचिंतन नहीं था, किंतु उसके द्वारा पहुंचायी गई चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं, अपीलार्थी भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग—II के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है और उसे 07 वर्ष के सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है। यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये गये अर्थदण्ड की राशि यथावत् रहेगी। अपीलार्थी के दिनांक 06.09.

2019 यानी, 04 वर्ष 11 माह 21 दिन से जेल में होने की सूचना है, यह अवधि उसके कारावास के दंडादेश से समायोजित की जायेगी।

(22) यह दांडिक अपील आंशिक रूप से उपर दर्शायी गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(23) इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को तथा उस जेल अधीक्षक को जहां वह निरूद्ध है और कारावास का दंडादेश भुगत रहा है, आवश्यक सूचना तथा कार्यवाही, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रेषित किया जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एस.डी / –	**एस.डी / –**
(रजनी दुबे)	**(संजय कुमार जायसवाल)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur